राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 836वी बैठक दिनांक 01.03.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 836वीं बैठक दिनांक 01.03.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
A.	SEAC द्वारा अनुशंसित				
1.	10726/2023	1 (a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	10382/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
3.	10417/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	10146/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
5.	10413/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	10763/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	10374/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	10590/2023	1 (a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	10678/2021	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	10691/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	10617/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
12.	10731/2023	1 (a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13.	10298/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	10740/2023	1 (a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	10646/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	10453/2023	1 (a)	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	10724/2023	1 (a)	मिट्टी खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	10666/2023	1 (a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
19.	10781/2023	1 (a)	डोलोमााईट खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
20.	9898/2023	1 (a)	डोलोमााईट खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
21.	10789/2023	1 (a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
22.	10741/2023	1 (a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
23.	10739/2023	1 (a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
24.	11155/2023	7(c)	Industrial Park	पर्यावरणीय स्वीकृति	ToR स्वीकृत
25.	11156/2023	7(c)	PM Mitra Park	पर्यावरणीय स्वीकृति	ToR स्वीकृत
B.	**प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त एजेण्डा**				
26.	10482/2023	1 (a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
27.	**माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रिंसिपल बैंच) के अंतर्गत ओ.ए. क. 491/2022 श्री अभिषेक पांडे विरुद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार व अन्य**				

1. **प्रकरण क्र. 10726/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश पवार, निवासी– ग्राम –कधाई, तहसील – बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 15970 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 218/1, ग्र्राम नायकचरसी, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 836वी बैठक दिनांक 01.03.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्र. 1139 दिनांक 21.06.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 20.06.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 10382/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंह, दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि. पर्यावास भवन, ब्लाक – ए द्वितीय तल जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.0 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्रम तजपुरा, तहसील मकसूदगढ जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 36 मीटर की दूरी पर एक रपटा/ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार रपटा/ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 10417/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जन्मेजय सिंह, दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि. पर्यावास भवन, ब्लाक – ए द्वितीय तल जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 106,107 ग्रम लहार घाट, तहसील गुना जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 119 मीटर की दूरी पर एक मेजर ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. 10146/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हिम्मत सिसोदिया जूनियन मैनेजर, दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि. पर्यावास भवन, ब्लाक – ए द्वितीय तल जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.024 हेक्टेयर, खसरा 01, मकारखेरा, तहसील कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खोदू–भरू प्रकति का है, यदपि अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खदान रिवर वेड माईनिंग की है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रकरण खोदू–भरू का है या रेत ? अतः खदान की अद्यतन जानकारी का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर SEIAA - SEAC से अनुमोदन प्राप्त किया जाये। प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. 10413/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र बाजपेयी, प्रबंधक संभागीय कार्यालय, भोपाल निवासी– 172 शासकीय माध्यमिक शाला, ग्राम बावडिया कलां, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 241, 299 ग्रम जीरापुर, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 813वी बैठक दिनांक 13.10.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान (प्रकरण क्र. 10413/2023) रकबा 5.00 हेक्टेयर की होना परिलक्षित है जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 10.00 हेक्टयर होता है तथा प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत प्रतीत होता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा प्राधिकरण (SEIAA) की 813वी बैठक दिनांक 13.10.2023 में लिये गये उपरोक्तानुसार निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण का परिक्षण नहीं किया गया। प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

6. **प्रकरण क्र. 10763/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गयाप्रसाद अंजने, जूनियन मैनेजर, दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि. पर्यावास भवन, ब्लाक – ए द्वितीय तल जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 51210 घनमीटर प्रतिवर्ष, रेत प्रतिवर्ष रकबा 2.845 हेक्टेयर, खसरा 15, ग्रम मुहाना, तहसील मनपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय, क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया का पत्र क0. 2392 दिनांक 20/09/2023 अनुसार आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की कोर सीमा 1.41 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चूंकि बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की अधिसूचना दिनांक 20. 12.2016 अनुसार बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व का ईको सेंसिटिव एरिया (ESZ) कोर क्षेत्र सीमा से 2.0 कि. मी. तक है । अतः बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव एरिया (ESZ) से खदान क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में स्पष्ट जानकारी कार्यालय, क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया से प्राप्त की जाये। प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

7. प्रकरण क्र. 10374/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री बाला मेहरा अधिकृत व्यक्ति, दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि. पर्यावास भवन, ब्लाक – ए द्वितीय तल जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3. 50 हेक्टेयर, खसरा 1645, ग्राम मचहौली, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से **219 मीटर की दूरी पर** रोड ब्रिज **परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार चेक डेम/निर्मित वियर से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

8. प्रकरण क्र. 10590/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लोकेश पाटीदार निवासी – चिककलां मार्ग कालोनी, वार्ड नं. 1, कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17640 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 1123, ग्राम सोंडवा, तहसील सोंडवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 **की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अलीराजपुर के आदेश क्र. 357 दिनांक 04.06.2021 के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 03.06.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सडक से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. **प्रकरण क्र. 10678/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन श्रीवास्तव कनिष्ठ प्रबंधक संभागीय भोपाल, निवासी–अपोलो पैराडाईस, बावडिया कलां, नियर मिनाल इन्क्लेव, गुलमोहर, हुजूर भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 49500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 63 ग्राम बडगांव – 3, तहसील, नसरुल्लागंज जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा** अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में में दर्शाई गई अधिकतम गहराई 2.5 मीटर **तक ही** रेत खनन किया जायेगा, इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा निरंतर आकलन किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. 10691/2023 – परियोजना प्रस्तावक श्री सुशील पाठक, दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि. पर्यावास भवन, ब्लाक – ए द्वितीय तल जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 21510 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.39 हेक्टेयर, खसरा 498, ग्राम बरोदा, तहसील ढीमरखेडा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines** 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा निरंतर आकलन किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. **प्रकरण क्र. 10617/2023 – परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई, जूनियर मैनेजर फील्ड पी. के. धाबई निवासी – नियर काली मन्दिर, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4320 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.95 हेक्टेयर, खसरा नं. 01, ग्राम झारकुंड, तहसील घोडा डोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

12. प्रकरण क्र. 10731/2023 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स संगीता ठाकुर, निवासी ग्राम बम्हानी, तहसील अमला, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता गिट्टी 5255, घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 190/2

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 **की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्र. 1761 दिनांक 24.11.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 23.11.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सडक से न्यूनतम 200 मीटर एवं प्राकृतिक नाला से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 10298/2023 – परियोजना प्रस्तावक श्री नहार पठान जूनियर मैनेजर, वार्ड नं. 03, रमभापुर रोड, पो. मेघनगर, झाबुआ (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 373, 896/1 ग्राम करजू, तहसील मोमन बडोडिया, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 836वी बैठक दिनांक 01.03.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में एक 287 मीटर की दूरी पर चेक डेम/निर्मित वियर परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान ***"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"*** अनुसार चेक डेम/निर्मित वियर से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 10740/2023 – परियोजना प्रस्तावक, श्री अरुण तिवारी, निवासी स्टेशन रोड, बरबटपुर, तहसील शाहपुर, जिला–बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9498 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.214 हेक्टेयर, खसरा नं. 42/1, 42/3 ग्राम जमपानी, शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्र. 1761 दिनांक 24.11.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 23.11.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 10646/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री योद्धा उमरे, जूनियर मैनेजर दि एम.पी. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि. पर्यावास भवन, ब्लाक – ए द्वितीय तल जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 41880 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

00 हेक्टेयर, खसरा 1706, ग्रम राजा सराई, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के नजदीक एक 80 मीटर का पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार पक्के मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

16. **प्रकरण क्र. 10453/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र बाजपेयी , प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल, निवासी 172 शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम बावडिया कलां, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड़ विधि), उत्पादन क्षमता 3750 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 17 ग्रम सिरावली, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर द्वारा आकलन किया जायेगा।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 10724/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अब्दुल खान, निवासी – ग्राम रघुनाथपुर, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, उत्पादन क्षमता 2000 घन मीटर प्रतिवर्ष ,रकबा 1.432 हेक्टेयर, खसरा 17, 15/2 मिनी–5 ग्रम रघुनाथपुर, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) श्योपुर के आदेश क्र. 11798 दिनांक 28.09.2017 के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 27.09.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सडक एवं केनाल से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में चिमनी की स्थापना नहीं की जायेंगी ।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं फेन्सिंग किया जाये। फेसिंग के खंबों के बीच की दूरी लगभग 10 फीट रखी जाये ।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानव बसाहट की ओर सघन वृक्षारोपण एवं विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. **प्रकरण क्र. 10666/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री बांके बिहारी सरकार स्टोन केशर, पार्टनर श्री दीपक गोयल आत्मज राजेन्द्र प्रसाद गोयल, 154, डिफेन्स स्टेट फेस –1 बूंदू कटरा, ग्वालियर रोड, जिला आगरा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 2034, ग्रम बिलहेती, तहसील गिर्द, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि आवेदन मेसर्स श्री बांके बिहारी सरकार स्टोन केशर, पार्टनर श्री दीपक गोयल आत्मज राजेन्द्र प्रसाद गोयल द्वारा किया गया है परन्तु आवेदन में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज मेसर्स श्री बांके बिहारी सरकार स्टोन केशर, पार्टनर श्री राजकुमार मंगल के नाम से है। चूंकि आवेदन में पार्टनरशिप डीड प्रस्तुत नही की गयी है, जिसके कारण प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक कौन है यह स्पष्ट नही है।

अतः प्रकरण में यदि श्री दीपक गोयल आत्मज राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं श्री राजकुमार मंगल पार्टनर है, तो उनके मध्य हुई पार्टनरशिप डीड के दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

19. **प्रकरण क्र. 10781/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष गोयल, डायरेक्टर मेसर्स इंड मिनरल्स एक्सपोलरर्स प्रा. लिमि. निवासी– 201, श्री कृष्णम् अपार्टमेंट, नार्थ अम्बाझिरी रोड, जिला नागपुर महाराष्ट्र द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 32490 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.84 हेक्टेयर, खसरा 141पी, ग्रम मालाजुआन, तहसील सौसर, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि खदान पहाड़ पर स्थित है एवं 22 पेड में से काटे जाने वाले 12 वृक्षों के विरूद्व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं पक्की सडक से न्यूनतम 200 मीटर तक" निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र का पुर्नरीक्षित Surface Map तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

20. **9898/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र शिवहरे, अधिकृत मेसर्स पी.डी. मिनरल्स प्रा. लिमि. इन्द्रा नगर, कबरई जिला महोबा (उ.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,01,204 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा 720/2, 700/1, 720/3, 721/2, 720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 एवं 700/2, ग्रम मुगदरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा पहाडी के Ridge Side जिस ओर सघन रूट स्टाक है, को छोडकर नॉन माईनेबल एरिया (2.5 हे.) के रूप में संरक्षित रखे जाने की अनुशंसा की गयी है। प्रकरण में SEAC द्वारा खदान के रकबे को कम किया गया है परन्तु उत्पादन क्षमता में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

21. **प्रकरण क्र. 10789/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मेसर्स दीपिका साहू, निवासी महावीर वार्ड, मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6998 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.40 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्रम गोपालतलाई, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 **की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का आदेश क्र. 4424 दिनांक 17.04.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 16.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पोल्ट्री फार्म से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र. 10741/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप आर्य, निवासी – हिदली भीमपुर, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7840 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 43/23, 43/1/क, ग्रम आदर्श पिपरिया, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्र. 960 दिनांक 25.05.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 24.05.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सडक से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

23. **प्रकरण क्र. 10739/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप आर्य, निवासी – हिदली भीमपुर, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 43/8, ग्राम आदर्श पिपरिया, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 **की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्र. 959 दिनांक 25.05.2018 के माध्यम से दिनांक 28.04.2008 से दिनांक 27.04.2018 से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति का नवीनीकरण 10 वर्ष की अवधि हेतु किया गया है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 26.04. 2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. **Case No 11155 /2023:** Prior Environment Clearance for Industrial Park Dhar Bhensola in an area of 384.26 ha. at Bhainsola, Tehsil-Badnawar, District, Dhar, Indore (M.P.) by Shri Ajay Kumar Jain, Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001

परियोजना हेतु SEAC की 719 वीं बैठक दिनांक 29.01.2024 को ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 73 से 79 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित इकाई के चारों ओर स्थापित अन्य इकाईयों का विवरण एवं प्रस्तावित इकाई के कियाकलापों से इन स्थापित इकाईयों पर पडने वाले प्रभावों का आकलन का भी अध्ययन किया जावे एवं इसके निष्कर्षों की जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जावे। साथ ही स्थापित इकाईयों पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन हेतु शमन योजना भी प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में करे ।
3. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
4. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एव CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में चर्चा की जानी चाहिए।
5. जनसुनवाई करवाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मुद्दों का निराकरण प्रस्तुत किया जावे।
6. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग लेआउट प्लान पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में शामिल करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें प्रस्तावित इकाई के समस्त आयामों के साथ जिसमें इकाईओं का विवरण, ग्रीनबेल्ट क्षेत्र, उपयोगिताओं आदि का विवरण जिसमें इन क्षेत्रों के माप आदि भी हो शामिल किये जावे, औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट भी प्रदर्शित किया जाये।
7. वैकल्पिक ईधन के रुप में प्राकृतिक गैस (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जावेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे
8. परियोजना स्थल के अंतर्गत स्टॉप डैम, ड्रेन आदि शामिल है अतः इस सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सम्बंधित MPPCB/CPCB के निर्देशनुसार उचित उपायों को EIA प्रतिवेदन में शामिल करे।
9. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
10. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

25. **Case No 11156 /2023:** Prior Environment Clearance for PM Mitra Park in an area of 497.06 ha. MP Industrial Development Corporation (MPIDC) proposes to develop a mega integrated textile region & apparel park at Bhainsola, Tehsil-Badnawar, District, Dhar, Indore (M.P.) by Shri Ajay Kumar Jain, Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001

परियोजना हेतु SEAC की 719 वीं बैठक दिनांक 29.01.2024 को ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 79 से 83 पर अंकित है।

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 836वी बैठक दिनांक 01.03.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित इकाई के चारों ओर स्थापित अन्य इकाईयों का विवरण एवं प्रस्तावित इकाई के कियाकलापों से इन स्थापित इकाईयों पर पडने वाले प्रभावों का आकलन का भी अध्ययन किया जावे एवं इसके निष्कर्षो की जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जावे। साथ ही स्थापित इकाईयों पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन हेतु शमन योजना भी प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाये।

2. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में करे ।

3. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

4. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एव CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में चर्चा की जानी चाहिए।

5. जन सुनवाई करवाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मुद्दों का निराकरण प्रस्तुत किया जावे।

6. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग लेआउट प्लान पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में शामिल करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें प्रस्तावित इकाई के समस्त आयामों के साथ जिसमें इकाईओं का विवरण, ग्रीनबेल्ट क्षेत्र, उपयोगिताओं आदि का विवरण जिसमें इन क्षेत्रों के माप आदि भी हो शामिल किये जावे, औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट भी प्रदर्शित किया जाये।

7. वैकल्पिक ईधन के रुप में प्राकृतिक गैस (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जावेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे

8. परियोजना स्थल के अंतर्गत स्टॉप डैम, ड्रेन आदि शामिल है अतः इस सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सम्बंधित MPPCB/CPCB के निर्देशनुसार उचित उपायों को EIA प्रतिवेदन में शामिल करे।

9. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

10. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

B. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त एजेण्डा

26. प्रकरण क्र. 10482/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री शुभम यादव आत्मज श्री प्रतापभान सिंह यादव, निवासी– ग्राम रातीखेड़ा, तहसील एवं जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7275 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 41/1, ग्राम खेजरानाई, तहसील शाढौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 714वी बैठक दिनांक 18.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा उपरोक्त अनुशंसा में सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां एवं (राशि रुपये में) की जानकारी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

27. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रिंसिपल बैंच) के अंतर्गत ओ.ए. क. 491/2022 श्री अभिषेक पांडे विरुद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार व अन्य

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के प्रकरण कमांक 7882/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के.ट्रांसपोर्ट एण्ड कन्सट्रक्शन लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री सचिन अग्रवाल, निवासी 65–ए ट्रांसपोर्ट नगर, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 130560 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 01, रकबा 4.95 हेक्टेयर, ग्राम थतारा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) हेतु प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

ग्राम ठटरा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.12. 2016 के माध्यम से अधिसूचित सोन घडियाल वाईल्ड लाईफ सेंचूरी के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधिसूचना के उपबंधः–II में क संख्या 90 पर अंकित है। चूंकि प्रस्तावित खदान अधिसूचित ग्राम में स्थित है। अतः आवेदक द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरण, OA No. 491/2022 के माध्यम से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पर आपत्ति की गई है।

उल्लेखनीय है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा सिंगरौली का एकल प्रमाण पत्र क. 4326 दिनांक 03.09.2020 प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रस्तावित खदान के 10 कि.मी की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितिकीय संवेदी जोन स्थित न होने, तथा 250 मी. की परिधि में वन क्षेत्र स्थित न होने की जानकारी दी गई थी। मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व, जिला सीधी के पत्र दिनांक 07.03.2018 द्वारा आवेदित स्थल से सोन घडियाल

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अभ्यारण्य सीमा की दूरी 2138 मीटर एवं सोन घडियाल वाईल्ड लाईफ सेंचूरी के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) की दूरी 1138 मीटर की बतायी गयी थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 465 वीं बैठक दिनांक 07.11.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की 645 वीं बैठक दिनांक 27.112020 में प्रकरण में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 07.12.2020 द्वारा जारी किया गया।

लेख है कि शिकायत के उपरांत प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार SEAC की 505 वीं बैठक दिनांक 24.07.2021 में प्रकरण पर पुनः अनुशंसा की गई SEAC की अनुशंसा पर SEIAA की 682 वी बैठक दिनांक 26.08.2021 में विस्तृत विचार – विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि फील्ड डायरेक्टर संजय टाइगर रिजर्व से प्रस्तावित खदान की वास्तविक स्थिति अक्षांश देशांश सहित, प्रस्तावित खदान ईको सेंसटिव जोन में स्थित होने संबंधी अभिप्रमाणित जानकारी प्राप्त की जाये। इस हेतु पत्र दिनांक 14.09.2021 जारी किया गया। जिसकी जानकारी अप्राप्त होने पर पुनः पत्र दिनांक 06.09.2022 से उक्त जानकारी चाही गयी। मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय संचालक संजय टाईगर रिजर्व के पत्र दिनांक 05.01.2023 द्वारा प्रदाय जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन खदान अधिसूचित सोन घडियाल के पारिस्थतिकीय संवेदी जोन (ESZ) की सीमा से 950 मीटर की दूरी पर होना बताया गया।

चूंकि प्रकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन है अतः MP -SEIAA ने दिनांक 23.02.2023 MOEF&CC को एक पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा कि अधिसूचित ग्राम में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा से बाहर स्थित स्थलों में उत्खनन हेतु स्वीकृति जारी की जा सकती है अथवा नहीं । MOEF&CC द्वारा उनके पत्र दिनांक 27.03.2023 के माध्यम से अधिसूचित ग्राम में ईको सेंसेटिव जोन के बाहर स्थित खदान के संचालन पर अनापत्ति व्यक्त की गई है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2023 तदउपरांत जारी आदेश दिनांक 30.11.2023 में जारी निर्देश के परिपालन में सदस्य सचिव MPSEIAA द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना निर्देशित था जिसके परिपालन में निर्देश अनुसार प्रतिवेदन माननीय अधिकरण में मेल दिनांक 06.02.2024 के माध्यम से भेजा गया। अपितु प्रतिवेदन अपराह्न 12 बजे के उपरांत भेजे जाने के कारण माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.02.2024 में उल्लेख अनुसार अधिकरण के सकुर्लर दिनांक 26.09.2020 एवं 02.08.2023 अनुसार राशि रु. 5000/– जमा शुल्क के रुप में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा दिनांक 13.02.2024 को अधिकरण में जमा किये गये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष